**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**13.02.2019 के**
**तारांकित प्रश्न सं. 158 का उत्तर**

**रेलगाड़ियों का ठहराव**

***158. श्री कौशलेन्द्र कुमारः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या बिहार के नालंदा जिले में दनियावा-बिहार शरीफ रेललाइन पर 12 कि.मी. दूर स्थित रामपुर में रेलगाड़ियों के ठहराव हेतु कोई मौखिक घोषणा की गई थी;**

**(ख) क्या रामपुर में न तो टिकट जारी किए जाते हैं और न ही वहां यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं क्योंकि सरकार ने इस बारे में आदेश जारी नहीं किया है;**

**(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(घ) सरकार द्वारा शासकीय/औपचारिक आदेश के माध्यम से इस स्टेशन पर उक्त ठहराव करने तथा यात्री सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?**

**उत्तर**

**रेल, कोयला, वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

**********

**रेलगाड़ियों के ठहराव के संबंध में दिनांक 13.02.2019 को लोक सभा में श्री कौशलेन्द्र कुमार के तारांकित प्रश्न सं.158 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।**

**(क) से (घ): दानापुर मंडल में दनियावां (डीएचडब्ल्यूएन) - बिहार शरीफ (बीईएसएस) खंड में 'रामपुर' नाम से कोई स्टेशन/हॉल्ट नहीं है।**

**बहरहाल, रामपुर गांव में एक पैसेंजर हॉल्ट खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई थी परन्तु यहां टिकटों की कम बिक्री होने की संभावना के कारण औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था। इसके अलावा, इस समय दो नजदीकी हॉल्ट अर्थात रूखाई और लच्छुबिघा परिचालनरत हैं, जो रामपुर गांव के प्रस्तावित स्थान से दोनों ओर केवल 2.2 कि.मी. की दूरी पर हैं। इतनी नजदीकी दूरी पर एक अन्य हॉल्ट खोला जाना औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता है।**

******